

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प वांकलपुरा

क्रमांक रीडर/2023/

प्रार्थनी

2042

वनाम

दिनांक -

20/07/23

1 लाछकंवर पत्नी भाखरसिंह जाति
राजपूत निवासी महावार तहसील व जिला
वाड़मेर।

1 उगमसिंह पुत्र भूरसिंह वगैराह जाति राजपूत
निवासी महावार तहसील व जिला वाड़मेर।

अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी वाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 32/2023

दिनांक-

10/07/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महावार पटवार क्षेत्र महावार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2336/163 रकबा 24.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार वाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने वाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 2044-112
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 20/07/23

1. तहसीलदार वाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महावार तहसील वाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. लाछकंवर पत्नी भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी महावार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उगमसिंह पुत्र भूरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी महावार तहसील व जिला वाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर